कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता मुरैना एवं परिसमापक दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. कैलारस जिला मुरैना

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण (EOI)

दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या कैलारस जिला मुरैना, क्षमता 1250 टीसीडी मध्यप्रदेश का सहकारिता के क्षेत्र में प्रथम शक्कर कारखाना है। यह कारखाना मुरैना-सबलगढ रोड़ पर मुरैना से 43 किलोमीटर की दूरी पर कैलारस नगर से 2 किलोमीटर पहले मुख्य मार्ग पर स्थित है। गन्ने की पिराई से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत 10 प्रतिशत मानकर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 1250 टन है। कारखाना वर्ष 2010-11 से बंद है तथा कारखाना वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अंतर्गत परिसमापन में है।

2/ उक्त कारखाना में आवश्यक सुधार कार्य कराकर अथवा उसके स्थान पर नवीन कारखाना चलाने हेतु इच्छुक कंपनियों/फर्म/सहकारी संस्थाओं/व्यक्तियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति बाबत प्रस्ताव आमंत्रित है।

3/ कारखाने की वर्तमान स्थिति, संपत्ति एवं दायित्वों, सामान्य शर्ते संबंधी जानकारी तथा प्रस्ताव हेतु आवंटन प्रारूप आदि http://www.mp.nic.in/ecooperatives पर उपलब्ध है एवं उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक, दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या कैलारस जिला मुरैना के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

4/ अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आवेदन करने हेतु राशि रू. 10,000/- (दस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो वापसी योग्य नही होगा। उक्त ड्राफ्ट दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या कैलारस जिला मुरैना के पक्ष में देय होगा।

5/ कारखाना की परिसंपत्तियों का अवलोकन/भ्रमण शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में किया जायेगा।

6/ इच्छुक कंपनियों/फर्म/सहकारी संस्थाओं/व्यक्तियों जो कारखाना को चलाने के इच्छुक हो, अपना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक, दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. कैलारस जिला मुरैना के कार्यालय में दिनांक 12-03-2020 तक प्रस्तुत कर सकते है।

उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक,
दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना
मर्या कैलारस जिला मुरैना

दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. कैलारस जिला मुरैना के संचालन की शर्ते

(1) **प्राथमिक शर्ते :-**

1/ संचालनकर्ता को कारखाना Free from all encumbrances संचालन हेतु सौंपा जाएगा अर्थात हस्तातंरण के पूर्व की समस्त दायित्व (liabilities) से संचालनकर्ता मुक्त होगा।

2/ संचालन अवधि 30 वर्ष होगी।

3/ कारखाने की मशीनरी, अधोसंरचनाऐं व इसकी भूमि का As is where is पर संचालनकर्ता को संचालन हेतु हस्तातंरित किया जा रहा है, अत: इसमें आवश्यक संशोधन, विस्तार, सुधार, मरम्मत, अन्य निर्माण आदि कार्यो के लिए (कोई व्यय किया जाना आवश्यक हो) समस्त व्यय संचालनकर्ता को वहन करना होगा। जो भी वैधानिक अनुमति संस्था के पास उपलब्ध है, उन्हें संचालनकर्ता को हस्तातंरित करने के लिए आवश्यक शुल्क व अन्य व्यय संचालनकर्ता द्वारा वहन किए जावेंगे, किन्तु दस्तावेज पूर्ण करने में आवश्यक सहयोग सहकारी संस्था द्वारा किया जाएगा।

निविदा के लिए बिड क्राइटेरिया :-

30 वर्षो तक के संचालन के लिए एक बार में एकमुश्त प्रीमियम राशि का ऑफर प्राप्त किया जाएगा। अधिकतम ऑफरकर्ता को प्रीमियम राशि प्राप्ति उपरांत कारखाना संचालन हेतु सौंपा जावेगा। अधिकतम ऑफर का परीक्षण कर स्वीकृत करने की कार्यवाही कारखाने के परिसमापक द्वारा आयुक्त सहकारिता के परामर्श से की जाएगी।

(2) **अन्य शर्ते :-**

1/ दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. कैलारस जिला मुरैना के प्लांट एवं मशीनरी में आवश्यक सुधार कार्य कराकर या उसके स्थान पर नवीन प्लांट/मशीनरी लगाकर प्रथमत: 30 वर्ष के संचालन हेतु अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत आवश्यकता पडने पर दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तथा 1 बार में अधिकतम 10 वर्षो हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।

2/ कारखाना को प्रीमियम के माध्यम से संचालित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

3/ कारखाना परिसर का उपयोग अनुबंधकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। कारखाना स्थल से आशय वह परिसर है, जिसमें कारखाना की मशीनरी, प्लांट एवं गोदाम स्थित है। संस्था की भूमि का उपयोग गन्ना उत्पादन एवं अनुषांगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी उददेश्य के लिये नही किया जायेगा।

4/ कारखाना के संचालन के दौरान संचालनकर्ता द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना क्रय हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन किया जावेगा। कारखाना के विद्यमान कर्मचारियों/श्रमिकों को सेवा में बनाये रखने अथवा हटाने के लिये अनुबंधकर्ता स्वतंत्र होगा।

5/ अनुबंध निष्पादन के पूर्व कारखाने की परिसंपत्तियों (भूमि/भवन/मशीनरी) का मूल्यांकन निर्धारित शासकीय एंजेसियों अथवा अधिकृत मूल्यांकनकर्ता अथवा राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ द्वारा कराया जायेगा।

6/ कारखाना के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पूर्ति अनुबंधकर्ता द्वारा की जावेगी।

7/ कारखाना के संचालन की अवधि में कारखाने की मशीनरी का नवीनीकरण, सुधार एवं संधारण के साथ-साथ संचालन का संपूर्ण दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा। कारखाने की कोई मशीनरी सुधार योग्य न होने पर उसका विक्रय संस्था के परिसमापक की सहमति से किया जावेगा।

8/ कारखाना की सुरक्षा,केन्द्रीय /राज्य सरकार के समस्त प्रकार के कर, बीमा, आवश्यक अनुमतियां एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का संपूर्ण दायित्व एवं व्ययभार अनुबंधकर्ता का होगा।

9/ कारखाने के संचालन हेतु नवीन टांसफर्मर एवं सब-स्टेशन निर्माण अथवा नवीन एचटी लाईन संयोजन संबंधी अनुषांगिक कार्य का समस्त व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रस्तावित प्रक्रिया :-

उक्त प्रमुख शर्तो को शामिल करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट जारी किये जा रहे हैं। प्राप्त ऑफरकर्ताओं से प्री-बिड कांफ्रेस कर, सुझाव प्राप्त कर शर्तो को एवं आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा व तत्पश्चात आर.एफ.पी. द्वारा अधिकतम ऑफर को प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपआयुक्त सहकारिता एवं परिसमापक
दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना
मर्या कैलारस जिला मुरैना

प्रस्तावक की ओर से दी जाने वाली जानकारी

1.	व्यक्ति / फर्म / कम्पनी / संस्था का नाम	
2	पंजीयन क्रमांक (यदि कोई हो) (किसी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था हेतु)	
3	कार्यालय का पता:	
4	फोन, फैक्स नंबर, ई–मेल	Fone No. Fax No. email
5	प्रस्तावक की ओर से अधिकृत व्यक्ति का नाम पता, ई–मेल	
6	कंपनी के डायरेक्टर / पाटनर्स / प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष, मोबाईल तथा ई–मेल	
7	टेक्स / एमएसटी / सीएसटी / टिन नंबर	
8	प्रस्ताव के व्यावसायिक कार्यों व अनुभव का विवरण	
9.	पीएफ एवं ई.एस.आई. का रजिस्ट्रेशन	
10	संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी पिछले तीन वर्षों से चार्टेड अकाउटेंट द्वारा लाभ–हानि खाते एवं तुलनात्मक शीट दी जावे ।	

11	संस्था के बैंकर्स के संबंध में जानकारी	
12	प्रस्तावक स्वयं रूचि रखता है, अथवा संयुक्त उपक्रम के रूप में भागीदार होगा । (यदि हों तो उसका विवरण)	
13	EOI हेतु देय ड्राफ्ट का विवरण	राशि
		क्रमांक
		बैंक का नाम

दिनांक ....

हस्ताक्षर प्रस्तावक..................

नाम प्रस्तावक .....